2 0/25 — पत्रावली पेश हुई। पार्थी व वकील पार्थी उपस्थित नही। इनके अनुपस्थिति रहने के कारण प्रार्थना-पत्र से संबधित मूल दावा अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज हो चूका है जिससे यह प्रार्थना-पत्र भी अब आगे चलने योग्य नही है।

अतः यह प्रार्थना-पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय मे शुमार की जावे तथा तरतीब तकमिल की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Jayendra